

रसायन और उर्वरक मंत्रालय
मांग संख्या 6
रसायन और पेट्रो रसायन विभाग

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आबंटन इस प्रकार है:

मुख्य शीर्ष	बजट 2008-2009			संशोधित 2008-2009			बजट 2009-2010			
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
	(करोड़ रुपए)									
राजस्व	251.50	45.30	296.80	216.50	52.30	268.80	85.62	24.28	109.90	
पूंजी	43.50	6.70	50.20	33.50	6.70	40.20	54.13	1.12	55.25	
जोड़	295.00	52.00	347.00	250.00	59.00	309.00	139.75	25.40	165.15	
1. सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	3451	0.50	12.16	12.66	0.42	14.64	15.06	0.25	13.15	13.40
उद्योग										
<i>पेट्रो-रसायन उद्योग</i>										
2. सेन्दूल इंस्टीट्यूट आफ प्लास्टिक्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (सीआईपीईटी)	2852	17.50	...	17.50	17.50	2.86	20.36	20.13	3.00	23.13
	6856	13.50	...	13.50	13.50	...	13.50	14.00	...	14.00
<i>जोड़</i>		31.00	...	31.00	31.00	2.86	33.86	34.13	3.00	37.13
3. असम गैस परियोजना को आर्थिक सहायता	2852	70.50	0.01	70.51	70.50	0.01	70.51	36.26	0.01	36.27
4. अन्य (नई योजनाएं)	2852	2.00	...	2.00	1.25	...	1.25	5.00	...	5.00
<i>रसायनिक और भेषज उद्योग</i>										
5. भोपाल गैस रिसाव त्रासदी (बीजीएलडी)	2852	...	8.61	8.61	...	7.75	7.75	...	5.62	5.62
6. कीटनाशी निर्माण प्रौद्योगिकी संस्थान (आईपीएफटी)	2852	5.00	1.50	6.50	5.00	2.04	7.04	7.00	2.40	9.40
7. राष्ट्रीय भेषज शिक्षा तथा अनुसंधान संस्थान (एनआईपीईआर)	2852	75.00	15.00	90.00	65.26	17.39	82.65
8. रासायनिक अस्त्र अभिसमय (सीडब्ल्यूसी)	2852	0.50	0.05	0.55	0.50	0.05	0.55	1.00	0.10	1.10
9. राष्ट्रीय भेषज मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए)	2852	11.50	7.47	18.97	0.92	7.06	7.98
10. भेषज निर्यात संवर्धन योजना (पीईपीएस)	2852	...	0.50	0.50	...	0.50	0.50
11. रसायन संवर्धन और विकास योजना (सीपीडीएस)	2852	2.00	...	2.00	2.00	...	2.00	2.00	...	2.00
12. हिन्दुस्तान एन्टी बायोटेक्स लि. (एच.ए.एल.)	2852	6.15	...	6.15
13. इंडियन ड्रग्स एवं फार्मास्यूटिकल्स लि. (आईडीपीएल)	2852	2.00	...	2.00
14. अन्य (नई योजनाएं)	2852	37.50	...	37.50	15.50	...	15.50
जोड़ - उद्योग		235.00	33.14	268.14	200.08	37.66	237.74	85.39	11.13	96.52
15. पूर्वोत्तर क्षेत्र एवं सिक्किम के लाभार्थ परियोजना/योजना के लिये एकमुश्त प्रावधान	2552	29.50	...	29.50	29.50	...	29.50	13.98	...	13.98
16. लोक उद्यमों को आयोजना- भिन्न ऋण										
16.01 स्मिथ स्टेनीस्ट्रीट फार्मास्यूटिकल्स लि. (एसएसपीएल)	6857	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01
16.02 बंगाल कैमिकल्स एवं फार्मास्यूटिकल्स लि. (बीसीपीएल)	6857	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01
16.03 बंगाल इम्युनिटी लि. (बीआईएल)	6857	...	0.01	0.01	...	2.00	2.00
16.04 इंडियन ड्रग्स एवं फार्मास्यूटिकल्स लि. (आईडीपीएल)	6857	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01
16.05 पेट्रोफिल्स कोआपरेटिव लि. (पी.सी.एल.)	6856	...	1.00	1.00	...	1.10	1.10	...	1.10	1.10
16.06 हिन्दुस्तान इन्सेक्टीसाइड्स लि. (एच.आई.एल.)	6857	...	2.50	2.50	0.01	0.01
16.07 हिन्दुस्तान एन्टी बायोटेक्स लि. (एच.ए.एल.) *	6857	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01
16.08 हिन्दुस्तान जैव रसायन लि.	6857	...	3.15	3.15	...	3.56	3.56	...	0.01	0.01
<i>जोड़</i>		...	6.70	6.70	...	6.70	6.70	...	1.12	1.12
17. सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में निवेश	6857	30.00	...	30.00	20.00	...	20.00	40.13	...	40.13
कुल जोड़		295.00	52.00	347.00	250.00	59.00	309.00	139.75	25.40	165.15

* योजनाएं भेषज विभाग को अंतरित कर दी गई हैं।

(करोड़ रुपए)

विकास शीर्ष	बजट 2008-2009			संशोधित 2008-2009			बजट 2009-2010			
	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़	
ख. सरकारी उद्यमों में निवेश										
<i>रसायन तथा भेषज उद्योग</i>										
17.01 हिन्दुस्तान ऑरगेनिक केमिकल्स लि.	12857	...	4.36	4.36	15.13	...	15.13
17.02 हिन्दुस्तान इंसेक्टिसाइड्स लि.	12857	...	0.50	0.50	25.00	...	25.00
17.03 बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लि.	12857	30.00	1.82	31.82	20.00	...	20.00
जोड़-रसायन तथा भेषज उद्योग		30.00	6.68	36.68	20.00	...	20.00	40.13	...	40.13
	<i>जोड़</i>	<i>30.00</i>	<i>6.68</i>	<i>36.68</i>	<i>20.00</i>	<i>...</i>	<i>20.00</i>	<i>40.13</i>	<i>...</i>	<i>40.13</i>
ग. आयोजना परिव्यय										
1. पेट्रो रसायन उद्योग	12856	103.50	...	103.50	102.75	...	102.75	75.39	...	75.39
2. रसायन और भेषज उद्योग	12857	161.50	6.68	168.18	117.33	...	117.33	50.13	...	50.13
3. सचिवालय - आर्थिक सेवाएं	13451	0.50	...	0.50	0.42	...	0.42	0.25	...	0.25
4. पूर्वोत्तर क्षेत्र	22552	29.50	...	29.50	29.50	...	29.50	13.98	...	13.98
जोड़		295.00	6.68	301.68	250.00	...	250.00	139.75	...	139.75

1. **सचिवालय:** इसमें विभाग के सचिवालय व्यय के लिए 0.25 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है और इसमें सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी व्यय शामिल है।

2. **केंद्रीय प्लास्टिक इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी संस्थान (सीआईपीईटी):** केंद्रीय प्लास्टिक इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना विशिष्ट प्रशिक्षण देने तथा प्लास्टिक सामग्री का भौतिक परीक्षण करने के लिये की गई थी। संस्थान ने अहमदाबाद, अमृतसर, भोपाल, भुवनेश्वर, चेन्नई, हैदराबाद, हल्द्वी, इंफाल, लखनऊ, मैसूर, पटना और गुवाहाटी, पानीपत, जयपुर और औरंगाबाद में 15 विस्तार केन्द्रों की स्थापना की है। इस प्रावधान में नए केन्द्रों की स्थापना सहित विभिन्न चालू तथा नई आयोजना स्कीमों हेतु 31.00 करोड़ रुपए की व्यवस्था शामिल है। इसमें से, मौजूदा केन्द्रों की ढाँचागत सुविधाओं को सुदृढ़ करने हेतु 9.00 करोड़ रुपए की विदेशी सहायता; सरकार द्वारा प्रतिस्थानी वित्तपोषण के लिए 1.00 करोड़ रुपए की व्यवस्था है।

3. **असम गैस परियोजना को सब्सिडी:** इसमें (पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए 13.98 करोड़ रुपए सहित) गैल की अधिक शेयर धारिता के साथ संयुक्त उपक्रम को कम्पनी को चरणबद्ध तरीके से पूंजी सब्सिडी प्रदान करने के लिए 100.00 करोड़ रुपए की व्यवस्था है, गैल इस परियोजना का मुख्य प्रमोटर है। इस यूनिट के 2012 में कार्य प्रारम्भ करने की सम्भावना है और प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से पर्याप्त रोजगार सृजित करने की आशा है।

4. **अन्य (पेट्रो-रसायन की नई परियोजनाएं):** पेट्रो रसायन के क्षेत्र में तकनीकी उन्नयन तथा अनुसंधान एवं विकास सम्बन्धी विभिन्न नई योजनाएं 11वीं योजना में शुरू होगी। यह प्रावधान सम्भावित सम्बन्धित क्षेत्रों में व्यवहार्यता अध्ययनों तथा पेट्रो-रसायन के क्षेत्र में तकनीकी उन्नयन के लिए विशेष योजनाओं के प्रारम्भ/दीर्घकालीन आधारभूत संरचना के सृजन हेतु है।

5. **भोपाल गैस रिसाव आपदा:** इस व्यवस्था में कल्याण आयुक्त, भोपाल के कार्यालय के सचिवालय व्यय और साथ ही पीड़ितों की क्षतिपूर्ति के मामलों का निर्धारण करने के लिए स्थापित विभिन्न न्यायालयों जिसमें व्यावसायिक सेवाओं, विदेशी मुद्रा दर में उतार-चढ़ाव आदि से सम्बद्ध व्यय भी शामिल है, पर होने वाला व्यय शामिल है।

6. **कीटनाशक निर्माण प्रौद्योगिकी संस्थान (आईपीएफटी):** यह संस्थान पर्यावरण के अनुकूल कीटनाशी निर्माणों के विकास में लगा है, जो किसानों की

सुरक्षा और पर्यावरण के संरक्षण के लिए अत्यंत आवश्यक है। यह संस्थान देश में कीटनाशी उद्योग की उन्नति के लिए उत्प्रेरक की भूमिका निभा रहा है।

8. **रासायनिक शस्त्र अभिसमय (सीडब्ल्यूसी):** भारत रासायनिक शस्त्र अभिसमय पर हस्ताक्षर करने वाले आरंभिक हस्ताक्षरकर्ता देशों में से एक है। अभिसमय के दायित्व को निभाने के लिए भारत में राष्ट्रीय प्राधिकरण नामक एक केन्द्रक अभिकरण स्थापित किया गया है। यह अभिकरण एककों का प्रयोग निरीक्षण, दोहरे प्रयोजनों वाले रासायनिक उद्योग की गतिविधियों का अनुवीक्षण, उपयुक्त कार्मिकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था और रासायनिक शस्त्र अभिसमय के कार्यान्वयन के संबंध में रासायनिक शस्त्र निषेध संगठन की मदद करता है। सी.डब्ल्यू.सी. अधिनियम 1 जुलाई, 2005 से लागू किया गया है।

11. **रसायन संवर्द्धन और विकास योजना (सीपीडीएस):** इसमें बजट प्रावधान विभिन्न संगोष्ठियों कार्यशालाओं के आयोजना तथा पीसीपीआईआरएस की स्थापना से सम्बन्धित जो उचित है, द्वारा रसायनों को प्रोत्साहन देने का सुनिश्चय करने के संबंध में है।

15. **पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लिए एकमुश्त प्रावधान:** इसमें पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम के लिए परियोजनाओं/योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु प्रावधान है। इस निधि से असम गैस क्रैकर परियोजना के लिए आवश्यक राशि प्रदान की जाएगी।

16. **सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को आयोजना-भिन्न ऋण:** ये सरकारी उद्यमों को दिए गए ऋण के द्योतक हैं।

16.06 **हिन्दुस्तान कीटनाशी लिमिटेड:** यह कम्पनी 1954 में निगमित की गई थी और डीडीटी, मेथालियान और एंडोसल्फेन तैयार करने के लिए इसका तीन कारखाने चल रहे हैं। इन उत्पादों का उपयोग स्वास्थ्य मंत्रालय के राष्ट्रीय मलेरिया रोधी कार्यक्रम में किया जाता है।

17. **सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में निवेश:** इसमें सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को उनकी नई और पहले से चल रही योजनाओं को पूरा करने के लिए इक्विटी और ऋणों के लिए व्यवस्था की गई है। इन उद्यमों के सम्बंध में बजटीय सहायता का इक्विटी तथा ऋणवार ब्यौरा तथा आईईबीआर व्यय बजट खंड-1 में दिए गए हैं।